

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016—माघ 2, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. एफ 13-1-2016-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 3 के सामने, कॉलम (4) में, शब्द “जनपद पंचायत” के स्थान पर, “जिला पंचायत” स्थापित किए जाएं.
2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 3 के सामने, कॉलम (6) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“जिला पंचायत द्वारा जारी की गई अनंतिम (प्रोविजनल) चयन सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के लिये:—

1.	अध्यक्ष, शिक्षा समिति, जिला पंचायत	—	अध्यक्ष
2.	शिक्षा समिति, जिला पंचायत के समस्त सदस्य	—	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	—	सदस्य सचिव
4.	जिला शिक्षा अधिकारी	—	सदस्य
5.	सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण	—	सदस्य.”

3. ये संशोधन इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

No. F 13-1-2016-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvidya Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is, hereby, given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

#### DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Schedule—I, against serial nuber 3, in coloumn (4), for the words “Janpad Panchayat”, the words “Zila Panchayat” shall be substituted.

2. In Schedule—II, against serial nuber 3, in coloumn (6), for the existing entries, the following entires shall be substituted, namely:—

“For objections received in relation to the provisional select list issued by the Zila Panchayat:—

1.	Chairman, Education Committee, Zila Panchayat	—	Chairman
2.	All members of Education Committee	—	Member
3.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	—	Member Secretary
4.	District Education Officer	—	Member
5.	Assistant Commissioner, Tribal Welfare	—	Member.”

3. These amendments shall come into force from the date of publication of this notice in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बृजेश कुमार, अपर सचिव.